क्रमांक 51 दिनांक 24-7-10 मूल्य 20 रु/

नाम श्री [illegible] पुत्र [illegible]

पता [illegible]

T-6430

5137/10

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

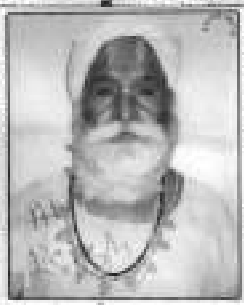

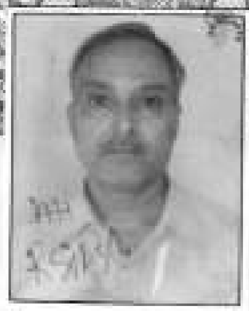

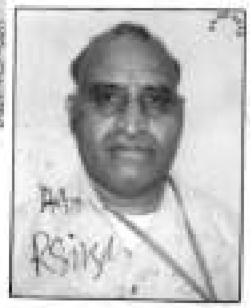

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

614484

UP TREASURY 10 FEB 2010 UP

!! श्री गणेश !!

1. भूमि का प्रकार– कृषि
2. मोहल्ला– ग्राम गनेशरा, तहसील व जिला मथुरा
3. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)–खसरा नं0 978 व 979
4. मापन की इकाई – है0
5. सम्पत्ति का क्षेत्रफल – रकबा 3.177 है0 में से बिक्रय 1/4 भाग
6. अन्य विवरण (9 मीटर रोड/कार्नर इत्यादि नहीं)–मुख्य व लिंक मार्ग से दूर
7. सम्पत्ति का प्रकार :–आराजी कृषि

क्रमांक 12 दिनांक 24-7-10 मूल्य 2000/-
नाम श्री पुत्र
पता
6

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

TWENTY THOUSAND RUPEES

बीस हजार

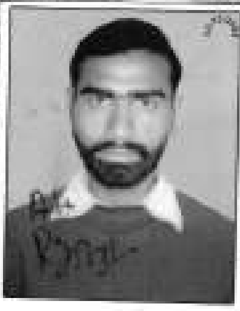

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

614485

UP TREASURY UP
10 FEB 2014
UP UP

(2)

8. प्रतिफल की धनराशि 17,65,750/– रूपये, मूल्यांकन–23,55,000/– रुपया, देय स्टाम्प –1,64,850/– रुपया मुजरा स्टाम्प–70,550/– रुपया वर्तमान देय स्टाम्प–94,500/– रुपये, कलेक्टर रेट–12,00,000/– रुपये प्रति एकड़, कार्यक्षेत्र–उपनिबन्धक प्रथम मथुरा। विकास शुल्क के अन्दर

प्रथम पक्ष की संख्या (3.)

विक्रेता का विवरण

1– सुरेश चन्द व महेश चन्द व दिनेश चन्द पुत्रगण डालचन्द
निवासीगण–ग्राम वाकलपुर, तहसील व जिला मथुरा

53 24270 20.00/-
8

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

614486

UP TREASURY UP

18 FEB 2010

UP UP

द्वितीय पक्ष की संख्या (3.)

<u>क्रेता का विवरण</u>

1– प्रीतम सिंह व हरेन्द्र सिंह व विपिन सिंह पुत्रगण श्री महाराज सिंह
निवासीगण–पालीडूंगरा, तहसील व जिला मथुरा

....

हम कि सुरेश चन्द व महेश चन्द व दिनेश चन्द पुत्रगण डालचन्द निवासीगण–ग्राम वाकलपुर, तहसील व जिला मथुरा बिक्रेतागण प्रथम पक्ष व प्रीतम सिंह व हरेन्द्र सिंह व विपिन सिंह पुत्रगण श्री महाराज सिंह निवासीगण–पालीडूंगरा, तहसील व जिला मथुरा क्रेतागण द्वितीय पक्ष पक्षकारगण इस लेख पत्र के हैं। जो कि कृषि आराजी भूमिधरी नकल खतौनी के अनुसार खाता सं0 99

मूल्य
नाम श्री ... पुत्र
पता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

614487

UP TREASURY UP
16 FEB 2010
UP MATHURA UP

खसरा नं0 978 रकबा 1.632 है0 व खसरा नं0 979 रकबा 1.545 है0 कुल दो किता रकबा 3.177 है0 लगान कागजातानुसार स्थित ग्राम गनेशरा, तहसील व जिला मथुरा (सम्पूर्ण अंश) मिल्कीयत व खानाकागजातमाल प्रथम पक्ष की है जिसमें से प्रथम पक्षगण पूर्व में दिनांक 15.06.2009 को उक्त आराजी में से 1/4 भाग का बिक्रय क्रेता के नाम कर चुके है व 1/4 भाग समकक्ष रकबा 0.79425 है0 का बैनामा इस बिक्रय पत्र के साथ क्रेता द्वितीय पक्ष के हक में निष्पादित किया जा रहा है जिसके प्रथम पक्ष सम्पूर्ण स्वामी हैं उक्त आराजी प्रथम पक्ष के ही मालिकाना आधिपत्य में है उक्त आराजी हर प्रकार के बाद–विवाद व झगड़े–झंझट व भार आदि से पाक–साफ है न किसी भी सरकारी संस्था या बैंक आदि में बंधक है न किसी डिग्री में नीलाम या कुर्क है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो प्रथम पक्ष को इस अन्तरण पत्र को करने में

नाम श्री
पता

05AA 964065

(5)

कोई बाधा या रुकावट पैदा कर सके न कहीं अटैच है न किसी की जमानत में है गर्ज़े है कि मिलकीयत पाक साफ प्रथम पक्ष की है और प्रथम पक्ष को उक्त आराजी के विषय में सम्पूर्ण अधिकार मालिकाना व हस्तांतरण आदि हर प्रकार के प्राप्त हैं। चूंकि प्रथम पक्ष को उपरोक्त आराजी से कोई लाभ नहीं है इसलिये अपने व अपने परिवार के हितार्थ उक्त आराजी को बेचने का निर्णय लिया इस निर्णय के अनुसार कई ग्राहक व दलाल लगाये अन्त में द्वितीय पक्ष मिलें जिन्होंने उपरोक्त आराजी का अच्छा प्रतिफल लगाया इस प्रतिफल को स्वीकार कर उपरोक्त आराजी (सम्पूर्ण अंश) को बेचने का सौदा बजरिये पंजीकृत इकरारनामा दिंनाक 17.05.2008 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार मथुरा में बही नं0 1 जिल्द 4981 पृष्ठ 313–354 नम्बर 4940 पर हुई किया अब उपरोक्त इकरारनामा की शर्तों के अनुसार द्वितीय पक्ष के हक में बैनामा करना अति आवश्यक है अतः लाभार्थ खुद के उपरोक्त आराजी खाता सं0 99 खसरा नं0 978

[illegible] 54 दिनांक [illegible]

[illegible] तिवारी

[illegible] कुमार तिवारी [illegible]

रजिस्ट्री कार्यालय मथुरा

विक्रय पत्र

1,765,750.00/	**2,355,000.00**	10,000.00	20	10,020.00	1,000	
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग	

श्री सुरेश चन्द

पुत्र श्री डालचन्द

पेशा अन्य

निवासी स्थायी ग्राम वाकलपुर मथुरा

अस्थायी पता ग्राम वाकलपुर मथुरा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 29/3/2010 समय 12:53PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मुकेश कुमार श्रीवास्तव
उप-निबन्धक
मथुरा-प्रथम
29/3/2010

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री सुरेश चन्द
पुत्र श्री डालचन्द
पेशा अन्य
निवासी ग्राम वाकलपुर मथुरा

श्री महेश चन्द
पुत्र श्री डालचन्द
पेशा अन्य
निवासी ग्राम वाकलपुर मथुरा

श्री दिनेश चन्द
पुत्र श्री डालचन्द
पेशा अन्य
निवासी ग्राम वाकलपुर मथुरा

क्रेता

श्री प्रीतम सिंह
पुत्र श्री महाराज सिंह
पेशा व्यापार
निवासी पालीडूंगरा मथुरा

श्री हरेन्द्र सिंह
पुत्र श्री महाराज सिंह
पेशा व्यापार
निवासी पालीडूंगरा मथुरा

श्री विपिन सिंह
पुत्र श्री महाराज सिंह
पेशा व्यापार
निवासी पालीडूंगरा मथुरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 513076

रकबा 1.632 है0 व खसरा नं0 979 रकबा 1.545 है0 कुल दो किता रकबा 3.177 है0 लगान कागजातानुसार स्थित ग्राम गनेशरा, तहसील व जिला मथुरा (सम्पूर्ण अंश) के 1/4 भाग जो संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया है आराजी को उन सभी हकों के जो प्रथम पक्ष को बहैसियत बिक्रेता प्राप्त हैं अथवा भविष्य में प्राप्त हों बिला छोड़े किसी हक गुड टाइटिल के साथ बिलएवज 17,65,750/- रुपया (सत्रह लाख पैंसठ हजार सात सौ पचास रुपये) जिनके आधे 8,82,875/-(आठ लाख बयासी हजार आठ सौ पिचैहत्तर रुपये) होते हैं *बदस्त प्रीतम सिंह व हरेन्द्र सिंह व विपिन सिंह पुत्रगण श्री महाराज सिंह निवासीगण-पालीडूंगरा, तहसील व जिला मथुरा क्रेतागण द्वितीय पक्ष* को कतई बै कर दिया और बेच दिया और कीमत का कुल रुपया 17,65,750/- में से वक्त इकरारनामा प्रलेख सं0 4940/08 में अदा किये 3,53,150/- रुपये व शेष 14,12,600/- रुपये नगद वक्त रजिस्ट्री बैनामा प्रथम पक्ष ने

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री लक्ष्मीकान्त गौड

पुत्र श्री गोविन्दशरण

पेशा अन्य

निवासी बृजवाटिका जन्मभूमि रोड मथुरा

व श्री रामवीर सिंह

पुत्र श्री रामकिशोर

पेशा अन्य

निवासी राधेश्याम कॉलोनी मथुरा

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मुकेश कुमार श्रीवास्तव
उप-निबन्धक
मथुरा-प्रथम
29/3/2010

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH K 513077

(7)

द्वितीय पक्ष से प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना अपना बेची गयी आराजी से समाप्त करके द्वितीय पक्ष का सम्पूर्ण मालिकाना कब्जा व बाकई कब्जा करा दिया। आज की तारीख से द्वितीय पक्ष सम्पूर्ण मालिक उपरोक्त आराजी के हुए और रहेंगे और अपने अधिकार से बहैसियत मालिक सम्बन्धित विभाग में अपने नाम म्यूटेशन करायें व पूर्ण अधिकार मालिकाना व काबजाना व हस्तान्तरण आदि प्रयोग में लावें प्रत्येक प्रकार से लाभान्वित हों व स्वयं जो चाहे सो करें। अब प्रथम पक्ष व वारिसान प्रथम पक्ष का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का उपरोक्त बेची गई आराजी से नहीं रहा और न भविष्य में होगा। यदि भविष्य में किसी दावेदारी से या अन्य प्रकार से बेची गई आराजी का थोड़ा या कुल कब्जा द्वितीय पक्ष से निकल जावे या कोई वाद विवाद आदि निकले

विक्रेता

Registraiton No.: 5137 Year : 2,010 Book No. : 1

0101 सुरेश चन्द

बालचन्द

ग्राम बाकलपुर मथुरा

अन्य

0102 महेश चन्द

बालचन्द

ग्राम बाकलपुर मथुरा

अन्य

0103 दिनेश चन्द

बालचन्द

ग्राम बाकलपुर मथुरा

अन्य

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 513078

22 FEB 2011

(8)

अथवा कोई भार पाया जावे तो उसकी सम्पूर्ण हर प्रकार की पूरी–पूरी जबाबदेही व जिम्मेदारी प्रथम पक्ष बिक्रेता की होगी और द्वितीय पक्ष अपना मूल्य का कुल रुपया मय हर्जा खर्चा व लागत व अदाकर्दा रुपया मय ब्याज के प्रथम पक्ष से व प्रथम पक्ष की अन्य जायदाद चल व अचल से बजरिए अदालत बाजाब्ता वसूल कर लें इसमें प्रथम पक्ष व वारिसान प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी न कोई अधिकार आपत्ति करने का होगा। अतः यह बैनामा खूब सोच समझकर स्वेच्छापूर्वक स्वस्थ चित्त लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे। उपरोक्त आराजी विकास शुल्क के अन्दर व नगरपालिका सीमा के बाहर तथा सड़क से हटकर है बाजारी मालियत 17,65,750/–रुपया है परन्तु कलक्टर रेट 12,00,000/– रुपये प्रति एकड़ है जिसके हिसाब

क्रेता

Registration No. : 5137 Year : 2,010 Book No. : 1

0201 प्रीतम सिंह
महाराज सिंह
पालीडूंगरा मथुरा
व्यापार

0202 हरेन्द्र सिंह
महाराज सिंह
पालीडूंगरा मथुरा
व्यापार

0203 विपिन सिंह
महाराज सिंह
पालीडूंगरा मथुरा
व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 513079

UP TREASURY UP
22 FEB 2010
UP MATHURA UP

(9)

से बेची गई आराजी का मूल्यांकन 23,55,000/– रुपया है पर स्टाम्प दिया जा रहा है बेची गई आराजी खाली है। उक्त कृषि आराजी के आस पास कृषि कार्य हो रहा है यह बिक्रय पत्र पक्षगणों के निर्देशानुसार उनको पढ़ा व सुनाकर टाइप व ड्राफ्ट किया गया है। बिक्रेतागण व क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं। वर्तमान में जो फसल थी वह प्रथम पक्ष ने काट ली है। <u>नोट</u>–यह कि इस बिक्रय पत्र पर 1,64,850/– रुपये का स्टाम्प आयद होता है परन्तु 70,650/– रुपये का स्टाम्प पूर्व में इकरारनामा प्रलेख सं0 4940/08 द्वारा दिया जा चुका है

खेम चन्द्र

आज दिनांक 29/03/2010 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 6427

पृष्ठ सं. 69 से 90 पर कमांक 5137

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मुकेश कुमार श्रीवास्तव
उप-निबन्धक
मथुरा-प्रथम
29/3/2010

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500
FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये
सत्यमेव जयते
Rs. 500
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 521596

उसमें से 100/– रुपये का इकरारनामा का स्टाम्प काटकर शेष 70550/– रुपये का स्टाम्प मुजरा करते हुए वर्तमान में 94500/– रुपये का स्टाम्प अदा किया है।

दिनांक : 24.02.2010

टाईप किया : एस के, मथुरा।

ड्राफ्ट किया : रविन्द्र सिंह एडवोकेट, रजिस्ट्री कार्यालय, मथुरा।

साक्षी-1 लक्ष्मी कान्त गौड़ पुत्र श्री गोविन्द शरण गौड़ नि० बृजवासी का जन्मभूमि रोड मथुरा

साक्षी-2 रामवीर सिंह पुत्र श्री राधाकिशोर नि० राधेश्याम कालोनी मथुरा

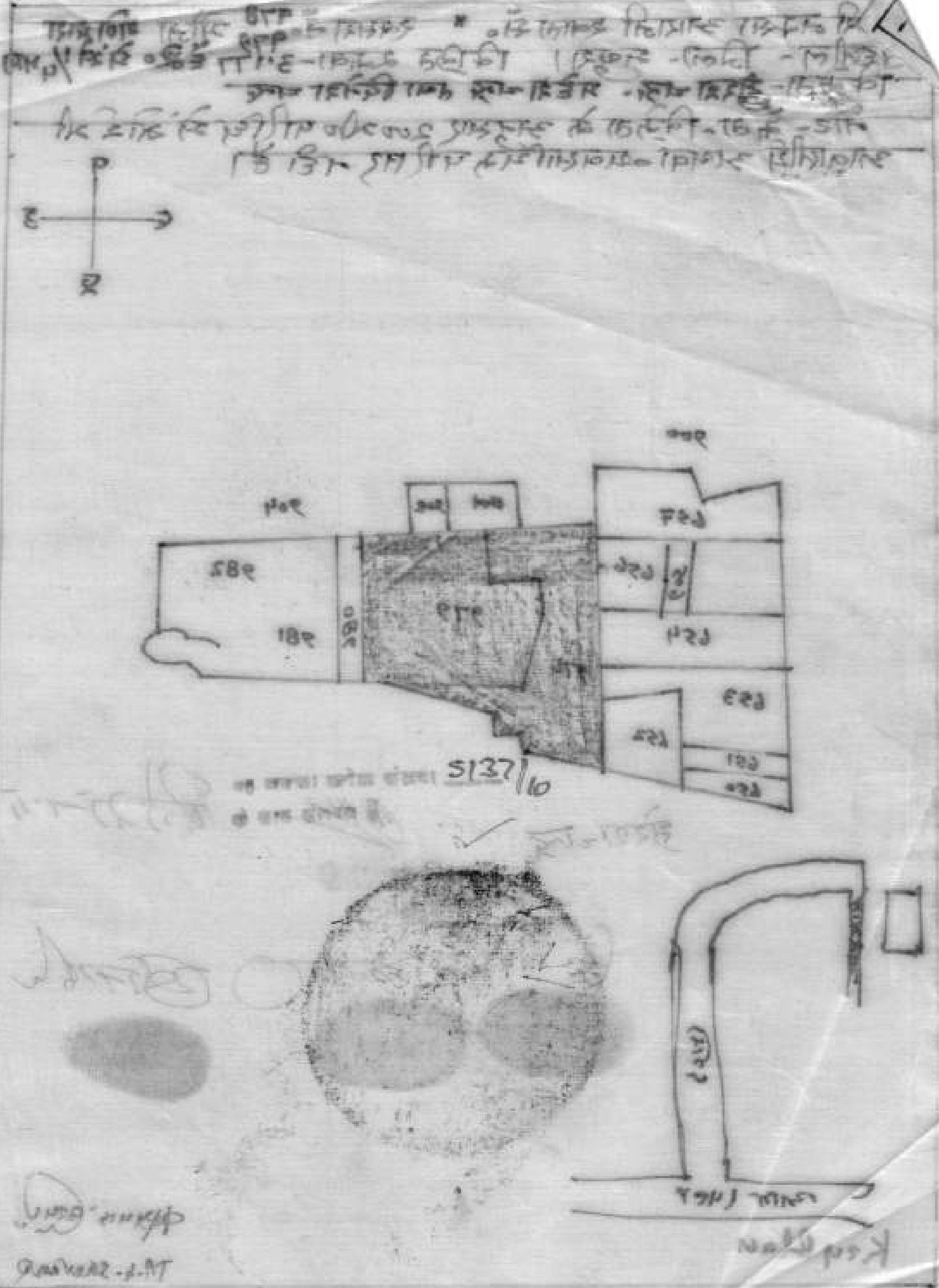
5137/10
282
181
180
219
251
252
253
254
255

नजरी नक्शा आराजी खाता सं० * खसरा नं० 978 979 मौजा गणेशरा
तहसील- जिला- मथुरा। विक्रित रकबा-3.177 हे० में से 1/4 भाग
विक्रेता- सुरेश चन्द्र, महेश चन्द्र तथा दिनेश चन्द

नोट- क्रेता-विक्रेता के अनुसार 200 मी० परिधि में कोई भी आवासीय अथवा व्यावसायिक परिसर नहीं है।

Key Plan

M.L. Sharma